न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 5/2014/एलआर

गोपीदास पिता किशनदास बैरागी
निवासी चकतिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चकतिया जरिये प्रधानाध्यापक राउप्रावि चकतिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. ग्राम पंचायत पालखेडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पालखेडी तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर ,चित्तौड़गढ़
दिनांक 12.07.2013 प्रकरण सं. राजस्व/12–3(3)13/1110

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट 1 – स्वंय
3. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 31.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आंवटन आदेश दिनांक 12/07/2013 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ जिला कलेक्टर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भवन एवं खेल मैदान हेतु पर्याप्त भूमि पूर्व से ही होते हुए बिना किसी आवश्यकता के मौजा चकतिया की आराजी नम्बर 97 मी रकबा 0.506 है0 भूमि अवैधानिक रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की अनुशंषा पर आंवटित कर दी, जो अपने आप मे अवैधानिक निरस्त योग्य है।

2. यह कि मौजा चकतिया की आराजी नम्बर 97 मी जो कि चरागाह भूमि है एवं उक्त आराजीयात पूर्व मे बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड थी उसमे से ढाई बीघा भूमि पर

अपीलान्ट को पूर्वजो से कब्जा चला आ रहा है व अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजीयात को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की अनुशंषा पर भवन व खेत मैदान हेतु आंवटित किये जाने आदेश पारित कर दिया जो विधि के विरूद्ध है। विवादित भूमि चरागाह की भूमि होकर मौजा चकतिया की चरागाह भूमि मे सम्मिलित है व उक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त मे पूर्वजो से चली आ रही है व उक्त आंवटन व अनुशंषा भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। आराजी नम्बर 97 मीन जिसकी कमी पूर्वी हेतु आराजी नम्बर 351 मी रकबा 0.96 है0 भूमि चरागाह मे दर्ज की गयी उसकी एवज मे 0.50 है0 भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खेल मैदान हेतु आंवटित किया गया जबकि आराजी नम्बर 97 मी का रकबा 2.61 है जो शेष रकबा वर्तमान मे भी खाली पडा हुआ है। खाली पडा रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खेत मैदान हेतु आंवटित किया जाता है तो इससे अपीलान्ट व अन्य किसी व्यक्ति को आपत्ति व एजराज नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट पक्षकार मुकदमा नही था जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की अपीलान्ट को किसी प्रकार से जानकारी नही थी। दिनांक 16/01.2014 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने से हुई। नकल दिनांक 17/01/2014 को प्राप्त हुई। अपील मे हुये विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/07/2013 मौजा चकतिया की आराजी नम्बर 97 मी रकबा 2.61 है0 मे से 0.50 है0 भूमि आंवटन का आदेश निरस्त किया जाकर उक्त आराजी मे से खाली पडी भूमि मे से आंवटन आदेश पारित कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मुख्यरूप से उन्ही तथ्यो को रिपीट किया है जो अपील मे उल्लेखित है तथा आग्रह किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट पक्षकार मुकदमा नही था जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की अपीलान्ट को किसी प्रकार से जानकारी नही थी। दिनांक 16/01.2014 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने से हुई। नकल दिनांक 17/01/2014 को प्राप्त हुई। अपील मे हुये विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक

12/07/2013 मौजा चकतिया की आराजी नम्बर 97 मी रकबा 2.61 है0 मे से 0.50 है0 भूमि आंवटन का आदेश निरस्त किया जाकर उक्त आराजी मे से खाली पडी भूमि मे से आंवटन आदेश पारित कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक द्वारा बयान किया गया कि जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12/07/2013 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किसी प्रकार की भूल नही की है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/12–3(3)13/1110 मे पारित निर्णय दिनांक 12/07/2013 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़